राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / एम–133 / 2024 / 43 दिनांक : 5/2/24

समस्त प्रधानाचार्य,
निजी नर्सिंग स्कूल,
राजस्थान।

विषय :– जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023–24 में प्रशिक्षणार्थीयों को प्रवेश नही देने एवं अधिक फीस के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान् में आया है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023–24 में प्रथम काउंसलिग पश्चात चयनित प्रशिक्षणार्थियो से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक राशि वसूल की जाने की शिकायते इस कार्यालय को बार–बार प्राप्त हो रही है।

इस सम्बध में आपको निर्देशित किया जाता है कि छात्र को प्रवेश देने की कार्यवाही की जावे एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस नही ली जावें । साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को Allotement Letter के अनुसार दिये गये प्रवेश की सूची संस्थान की SSO ID पर प्रतिदिन अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें एवं की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। अगर इसके पश्चात भी इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बधित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर राज्य सरकार की एन.ओ. सी. एवं आरएनसी की सम्बद्धता समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को लिख दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज॰ जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / एम–133 / 2024 / 43 दिनांक : 5/2/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
02. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को सर्वर पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज॰ जयपुर

RajKaj Ref
5513152

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh Kumar Naval
Designation : Director
Date :05-02-2024 04:36:15